संख्या-90/2022/1224/22-2-2020-17(468)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2022*

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लल्लू बोरा उर्फ अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल गफूर, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी लल्लू बोरा उर्फ अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल गफूर, जो-कजियाना, थाना-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा मिर्च के पैसों के लेन-देन को लेकर दिनांक 26.07.2009 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से मारकर 03 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-11/2010, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 336/149, 148 एवं 07 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, फतेहपुर के आदेश दिनांक 23.12.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2020 तक 11 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष, 00 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर ने बंदी द्वारा कारित जघन्य अपराध को लेकर लोगों के मन में भय व्याप्त होने, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति के होने के कारण कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध की सम्भावना होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लल्लू बोरा उर्फ अब्दुल हमीद (बन्दी संख्या-264/2015) पुत्र श्री अब्दुल गफूर, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-90/2022/1224(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फतेहपुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।